INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयास एवं चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन

(OVERALL ASSESSEMENT OF THE CHALLENGES AND EFFORTS MADE TOWARDS WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA)

डॉ. देवेन्द्र नाथ मिश्र
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/09.2021-65427519/IRJHIS2109011

संक्षिप्त सारांश :

महिलाएँ आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐतिहासिक रूप से इनकी स्थिति पर विचार करें तो दुनिया के लगभग सभी समाजों में ये पुरूषों से पीछे रही हैं और इनके साथ कई निर्योग्यतायें एवं समस्यायें सम्बद्ध रही हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करें तो वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में इन्हें पुरूषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रारम्भ हो चुका था। मध्य काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न हो गई। सभी सामाजिक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा का प्रभाव बढ़ गया। शिक्षण सुविधा समाप्त हो गयी लेकिन ब्रिटिश काल में आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, शिक्षा विस्तार, महिला आंदोलन और सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जिससे लिंग असमानता में कमी आयी। स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संवैधानिक प्रावधानों, विकास कार्यक्रमों, महिला आन्दोलनों के द्वारा किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज महिलायें दुनिया के हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बस जरूरत है तो कुछ और सुधारों एवं सुझावों की जिससे पुरूष प्रधान वाली सोच में बदलाव लाया जा सके और महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु न समझ कर उन्हें भी समाज में स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करने और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने हेतु पूर्ण अवसर एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए।

प्रस्तावना:

महिला सशक्तिकरण का अर्थ किसी देश, समाज, जाति या वर्ग में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्र में पुरूषों के समान आत्मनिर्भर बनाकर उनकी शक्ति में इस प्रकार से वृद्धि करना है जिससे उस समाज में प्रचलित लिंग आधारित असमानताओं

को दूर किया जा सके।

किसी भी देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का हर परिवार शिक्षित, समझदार एवं विकसित होना चाहिए। लेकिन परिवार की उन्नति तभी हो सकती है जब उस परिवार की महिलायें शिक्षित एवं जागरूक हों क्योंकि स्त्री ही परिवार रूपी संस्था का वह केन्द्र है जिस पर संपूर्ण परिवार टिका होता है। दुर्गा सप्तसती में एक श्लोक लिखा गया है कि ''विद्या संमस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः संमस्ता सकल जगत्सु''।

अर्थात इस सम्पूर्ण संसार में सभी विधायें तथा सभी स्त्रियाँ, परमात्म–शक्ति माँ दुर्गा के समान ही हैं।

समाज की संरचना में स्त्रियों की भूमिका न केवल बच्चा पैदा करने तथा उसके विकास से है बल्कि वह वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

जहाँ तक भारतीय समाज में स्त्रियों के विकास एवं परिवर्तन की स्थिति को समझना है तो हम इसे तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल।

1. प्राचीन काल– प्राचीन काल में नारी एवं पुरूषों के बीच भेद भाव नहीं के बराबर था। यहाँ तक कहा जाता है कि प्राचीन काल में नारी का ही आधिपत्य था। बच्चों की पहचान माता के नाम से होती थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति समाज में काफी ऊँची थी। स्त्रियों को समाज में न केवल अभिव्यक्ति की आजादी थी बल्कि उन्हें पुरोहितों के समान धार्मिक कृत्य करने एवं ऋषियों का दर्जा भी प्राप्त था। इस समय स्त्रियाँ धर्म शास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में ब्रम्हज्ञानी पुरूषों के साथ–साथ ब्रह्वादिनी स्त्रियों का भी उल्लेख है। इनमें विश्वतारा लोपा, मुद्रा, घोषा, देवयानी एवं इंद्राणी आदि प्रमुख स्त्रियाँ थीं। उस समय स्त्रियों को उपनयन संस्कार एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। पुत्र–पुत्री के पालन–पोषण में कोई भेदभाव नहीं था। बाल–विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन इस युग में नहीं था लेकिन प्राचीन काल के ही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को प्रदत्त अधिकारों में ह्रास होता गया। स्मृतियों के रचनाकारों ने पुरूषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए स्त्रियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कुप्रथायें लाद दीं। नारी को विभिन्न प्रकार के प्राप्त अधिकारों जैसे शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, उपनयन आदि से वंचित किया जाने लगा। यहाँ तक की मनु ने कहा कि नारी को बचपन में पिता के अधीन युवावस्था में पति के अधीन तथा पति के मृत्यु के पश्चात पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इसके बाद तो नारी के ऊपर अनेक प्रकार की बंदिशें लगा दी गयी और अनेक कुप्रथायें उनके ऊपर आरोपित कर दी

गयी जैसे पर्दा प्रथा, पुरूषों की आज्ञा का पालन करना, चहारदीवारी के भीतर रहना, सती प्रथा इत्यादि। इस प्रकार नारी सिर्फ भोग्य की वस्तु बनकर रह गयी।

2. मध्यकाल– भारतीय इतिहास में 11वीं से 18वीं सदी को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल को स्त्रियों की स्थिति के दृष्टिकोंण से एक काला युग कहा जा सकता है। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाकर भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ बादशाहों ने जबरन धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपनी संस्कृति को हम पर थोपने का प्रयास किया। जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं द्वारा अपनी स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये तथा स्मृतिकारों की मनगढ़न्त विचारों को धार्मिक स्वीकृति दे दी गयी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथायें अपने चरम पर पहुँच गयीं। स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। एक लम्बे समय तक भारत में इस्लामी संस्कृति के प्रभाव के कारण हिन्दू एवं मुसलमान औरतों की सामाजिक स्थिति एवं मूल्य एक समान थे। दोनों ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर पुरूषों पर ही निर्भर थीं। स्त्रियों के मन मस्तिष्क में यह भर दिया गया कि वे अपनी इस निर्भरता को स्वीकार करें इसे स्थिति प्रतीक मानकर इसे अपने व्यवहार में धारण करें।

3. आधुनिक काल– ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिम में प्राप्त महिलाओं को स्वतन्त्रता एवं समानता वाले विचार से अभिप्रेरित होकर भारत के कुछ समाज सुधारकों ने भारत में महिलाओं के उत्थान हेतु समाज सुधार का बीड़ा उठाया जिनमें प्रमुख रूप से राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि थे। जिनके अथक प्रयास से सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह से सम्बन्धित कानून बने और अनेक कुप्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य महिला शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता तथा आर्यकन्या पाठशालायें स्थापित करना था। स्वामी विवेकानन्द ने स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार देने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए जोरदार आवाज उठाते हुए कहा कि ''जब तक नारी की दशा में सुधार नहीं होता, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।''

4. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन का युग– 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आयी तब महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को भी इसके एक अंग के रूप में देखा जाने लगा। जिसके फलस्वरूप पंडिता रमाबाई एवं स्वर्ण कुमारी देवी के प्रयत्नों से लगभग 100 महिलाओं ने 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया। कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नमा ने Doctrine of Lapse (समाप्ति के सिद्धान्त) के विरोध में

अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जिन्हें आज भारत एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में सम्मान देता है। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बंग भंग के खिलाफ आंदोलन एवं होमरूल आंदोलन में भाग लिया। 1917 में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भारत महिला संगठन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूना सेवा सदन, महिलाओं का राष्ट्रीय संघ और सरोजनी दत्त महिला समाज अन्य ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, मताधिकार तथा संपत्ति अधिकार के लिए आवाज उठाये। जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने प्रान्तों में होने वाले चुनाव की स्थिति में महिलाओं को मताधिकार देने की बात स्वीकार कर लिया। प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनीं। 1937 के लोकप्रिय मंत्रिमंडल में कई महिलायें मंत्री या संसदीय सचिव के पद को ग्रहण किया। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में कई महिलाओं ने जैसे भीकाजी कामा, एनी बेसेन्ट, प्रीतिलता वाडेकर, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली आदि ने भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। सुभाष चन्द्र बोस द्वारा संचालित इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया जो पूरी तरह महिलाओं की सेना थी। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों, धार्मिक संगठनों, सुधारवादी संगठनों के द्वारा औरतों के बीच शिक्षा–प्रसार, बाल विवाह रोकने, मताधिकार प्राप्त करने, पर्दा प्रथा को रोकने, एकल विवाह लागू करने, व्यवसाय करने व रोजगार प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया जिससे नारियों के जीवन में परिवर्तन सम्भव हुआ।

5. स्वतंत्रता के बाद का काल– वैसे महिलाओं के सशक्तिकरण का सार्थक प्रयास राष्ट्र को आजादी मिलने के बाद ही शुरू हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कथन है कि ''महिलायें पुरूषों के हाथ का खिलौना नहीं हैं और न ही इनकी प्रतिद्वंदी हैं। महिलाओं और पुरूषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्यायें भी एक जैसी हैं। महिला एवं पुरूष एक दूसरे के पूरक हैं।'' इन्हीं विचारों के साथ जब भारत के संविधान का मसौदा बनना शुरू हुआ तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा ''लैंगिक असमानता चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो अथवा धार्मिक, महिलाओं की गरिमा को स्थापित करने के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' अतः संविधान निर्माण के समय एक नीति के रूप में अनेक ऐसे अनुच्छेद शामिल किये गये जिनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव न करने, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 39 (घ) समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 42– प्रसूति सहायता जैसे अनेक उपबन्ध संविधान में महिलाओं के लिए किये गये। इसी के

साथ–साथ भारत सरकार द्वारा अनेक ऐसे महिला संरक्षण कानून भी बनाये गये जिससे महिलाओं को विवाह, सम्पत्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों के बराबर अधिकार प्राप्त हो सके और गरिमामय जीवन जी सकें। जैसे– विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा बालिग लड़की को अपनी इच्छा से किसी भी जाति के लड़के से विवाह करने का अधिकार। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार, भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा स्त्रियों को पुरूषों के समान उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार प्रदान किया गया।

दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961 के द्वारा लम्बे समय से दहेज प्रथा जो स्त्रियों के शोषण का एक प्रमुख आधार रहा है पर प्रतिबन्ध लगाया गया और दहेज लेना एवं देना दोनों अपराध घोषित किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की चेतना बढ़ाने हेतु 1992 में 73वें संशोधन के द्वारा केन्द्रीय पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में दूसरे अन्य सुधारों के साथ पंचायत की सभी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। कुछ राज्यों में तो इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। जो राजनीति में महिलाओं की सक्रियता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक हिंसा को घरेलू हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है।

कल्याण तथा आर्थिक कार्यक्रम–

आजादी के बाद राष्ट्रीय विकास की दिशा को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में ही महिला सशक्तिकरण की स्पष्ट सोच दिखायी देने लगी थी। स्त्रियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं योजनायें लागू की गयीं जो महिला सशक्तिकरण के आधार हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनके बच्चों के हितों से सम्बन्धित योजनाओं को गति प्रदान की गयी। 70 के दशक में कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक बहस के केन्द्र बन गये। 1975 में सारे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया तथा 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। 1975–85 के दशक को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया गया। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया तथा वर्ष

2001 को महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया। सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं चलायी जा रही हैं। जैसे–

स्वावलंबन योजना– इसके तहत परंपरागत एवं गैर परंपरागत व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षित कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद करना।

स्टेप (STEP)– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता। इसके अंतर्गत कृषि, बागबानी, यात्रा एवं पर्यटन, अतिथि सत्कार, कम्प्यूटर एवं आइटी सेवाओं में कौशल प्रदान किया जाता है।

स्वयं सिद्धा योजना– इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके इनमें सेवाओं के समन्वय और छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है।

स्वधार योजना– विधवाओं, जेल से रिहा महिला कैदियों, प्राकृतिक आपदा की शिकार महिलाओं या बेघर महिलाओं को पुनर्वास, कौशल विकास और मदद सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017– इस अधिनियम द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गयी है।

शी बाक्स– कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने हेतु।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ– इस पहल का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, कन्याओं की सुरक्षा एवं समृद्धि और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय महिला कोष (R.M.K.)– R.M.K. गैर सरकारी संगठन (NGO) एवं सूक्ष्म वित्तीय संगठन (MFI) को ऋण प्रदान करना है। जिन्हें मध्यस्थ संगठन (I.M.O) कहा जाता है, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करता है।

महिला ई–हाट– एक वेबसाइट है जो महिलाओं द्वारा निर्मित बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रदर्शित एवं बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना– यह वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग बचत और जमा खातों विप्रेषण, क्रेडिट बीमा पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। फरवरी 2020 तक 53प्रतिशत खाताधारक (20 करोड़ से अधिक) महिलायें हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना– बालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा यह योजना चलायी गयी है।

मूल्यांकन–

उपरोक्त प्रयासों से इसमें संदेह नहीं है कि समाज करवट ले रहा है। 21 वीं सदी में परिवर्तन के संकेत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। स्त्रियों में अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूकता आ रही है। शिक्षा की तरफ उनका रूझान बढ़ा है। पर्दा प्रथा लगभग समाप्ति के रास्ते पर है। महिलाओं की आवाज सशक्त हो रही है। आज महिलायें पुरूष उद्यमी के समान ही प्रभावशाली हो रही हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जारी बिजनेस एंड ला रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं नियमों की जांच पर आधारित थी, में 190 देशों की सूची में भारत को 117 वां स्थान मिला है। सरकार द्वारा हाल की पहलों के चलते भारत को दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान मिला है। समाज के एक बड़े वर्ग में महिला अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी जबर्दस्त उपस्थिति दर्ज करायी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रयास, सरकारी, कल्याणोन्मुखी और सशक्तिकरण की ओर उन्मुख कार्यक्रमों, महिला आयोग की तत्परता, आधुनिक और उदारवादी नियमों के प्रभाव से महिला स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति में पूरी ईमानदारी से परिवर्तन हुआ है? क्या महिलाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है? कानूनी प्रावधानों एवं आयोगों की बात से हटकर क्या हम सोचने को तैयार हैं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश महिलाओं के हितों के अनुकूल है। यह कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न है कि यदि वास्तविकता के धरातल पर यदि हम इन प्रश्नों की गंभीरता पर विचार करें तो तस्वीर धुंधली नजर आती है। महिलाओं को कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों के संचालन में पुरूषों का हस्तक्षेप सहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित महिलाओं की स्थिति सिर्फ मूक दर्शक की है जो सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर तक ही सीमित है। अगर हम समाचार पत्रों, टेलीविजन द्वारा प्राप्त समाचारों का अवलोकन करें तो यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा का ग्राफ बढ़ा है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरूष तानाशाही, निम्न स्तर पर शिक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, भ्रष्टाचार जैसी समस्या के कारण महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य से हम कोसों दूर हैं। अतः जरूरत है कुछ सुझाव और सुधारों की जिससे दुनिया की आधी आबादी को पुरूषों के समकक्ष लाया जा सके जैसे–पुरूष प्रधान सोच को बदलना होगा, अशिक्षा रूपी बाधा को खत्म करना होगा, महिला नेतृत्व को भी आगे आना होगा, कानूनी प्रावधानों के साथ समाज के हर वर्ग की सोच सकारात्मक हो। सरकार

द्वारा चलाये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना होगा और यह सब जिम्मेदारी सभ्य समाज में रहने वाले समाज के प्रत्येक नागरिक की है। जिससे इस विशाल राष्ट्र में आधी आबादी को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि जयंशकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों में नारी सम्मान की भूमिका को स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है–

''तुम भूल गये पुरूषत्व मोह में
कुछ सत्ता है नारी की।
समरसता है संबंध बनी
अधिकार और अधिकारी की।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. सिंह, जे. पी. : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन (21 वीं सदी में भारत), पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली–110092
2. डॉ. अग्रवाल, जी. के. –सामाजिक मुद्दों पर निबन्ध।
3. मासिक पत्रिका, कुरूक्षेत्र, संस्करण मई–2020, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. मासिक पत्रिका, योजना, संस्करण दिसम्बर–2020, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. समाचार पत्र, दैनिक जागरण, 07 जनवरी 2021
6. पाण्डेय, एस. एस. , समाजशास्त्र, संस्करण–2010, टाटा मैक्ग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।